संख्या-7/2015/215/71-2-15-एस-20/2014

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2015**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनेत्तर पक्ष में वेतन भत्तों के भुगतान हेतु अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3022/रिम्सएण्डआर/2014-15, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-1024/71-2-14-एस-17/09 दिनांक 07 अप्रैल, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनेत्तर पक्ष में 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 24,00,000/- (रूपया चैबीस लाख मात्र) को स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त सहित प्रदान की जा रही है कि मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) से स्वीकृत धनराशि का प्रत्येक मास में आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, रिम्स एण्ड आर0, सैफई इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा तथा कोषागार से आहरण हेतु बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

4- यह धनराशि उसी मद में खर्च की जायेगी जिसके लिये इसकी स्वीकृति दी जा रही है। अन्य मद में खर्च वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी- 03-शिक्षा-0328-रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, सैफई इटावा में मेडिकल कालेज की स्थापना-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-7/2015/215(1)/71-2-15-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, इटावा।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, रिम्स एण्ड आर0, सैफई इटावा।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन को चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।